न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी–सांवरमल रैगर आर ए एस–

प्रार्थना पत्र संख्या 102/2024

1. सुमित्रा पत्नी श्रीचंद जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. श्रीचंद पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. मु0 समा पतनी हेतराम
2. पवन
3. रामचन्द्र
4. मु0 रविना

(2 से 4) पि0 हेतराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।

.......अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह भाटी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.01.2026

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम पटवार हल्का गौडू के चक 10 पी0एस0डी0 में खाता नंबर नया 72 पुराना 40 में मुरब्बा नंबर 42/15 में किला नंबर 1/2 से 9, 10/2, 11/1, 12, 13, 3.1740 हैक्टयर खातेदारी कृषि भूमि है, जो तमाम राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्याा 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के नाम पटवार हल्का गौडू के चक 10 पी0एस0डी0 में खाता नंबर नया 71 पुराना 40 में मुरब्बा नंबर 42/15 में किला नंबर 14 से 19, 20/2, 21/1, 22 से 25 में 2.9590 हैक्टयर खातेदारी कृषि भूमि है जो तमाम राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्याा 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि का दिनांक 23.06.2023 को सीमा ज्ञान करवाया गया है। प्रार्थीगण उपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर सीमा ज्ञान के आधार पर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 8 पी0एस0डी0 में मुरब्बा नंबर 42/16 में 0.7841 हैक्टेयर, मुरब्बा नंबर 42/23 में 5.5638 हैक्टेयर, मुरब्बा नंबर 43/12 में 2.1624 हैक्टेयर कुल 8.1815 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि चकसीमा पर स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी नहीं करने दे रहे है तथा जबरिया प्रार्थीगण को मौके पर पत्थरगढ़ी करने से रोक रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का यह कृत्य कानूनन गलत है। दिनांक 18.07.2024 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर पत्थरगढी करने के लिये गये तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 मौके पर आ गये व प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी खेत में पत्थरगढी नहीं करने दी, जिससे प्रार्थीगण व्यथित एवं मजबूर होकर श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 ता 4 को बावजूद जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस के सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में एकपक्षीय बहस समायत की गयी। पत्रावली में उपलब्ध स्टेट जवाब व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। स्टेट द्वारा प्राप्त जवाब पत्रांक रीडर/2025/3162 दिनांक 02.12.2025 द्वारा जैर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने हेतु अनुशंषा की है। चूंकि प्रार्थी अपने खेत की खातेदारी भूमि पर स्थायी सीमा चिह्न (पत्थरगढी) करवाना चाहता है, जिसका प्रत्येक काश्तकार को कानूनी अधिकार है तथा जिसके तमाम हर्जे व खर्चे की जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थी संख्या 1 को उसके धारण की गई खातेदारी कृषि भूमि में चक 10 पीएसडी के मुरबा नं 42/15 में किला नं 1/2 से 9, 10/2, 11/1, 12, 13 में 3.1740 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 को उसके धारण की गई खातेदारी कृषि भूमि चक 10 पीएसडी के मुरबा नं 42/15 में किला नं 14 ता 19, 20/2, 21/1, 22 ता 25 में 2.9590 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे पर स्थायी सीमा चिह्न (पत्थरगडी) आदेश प्रदान करना न्यायोचित समझते है।

अतः तहसीलदार राजस्व, बज्जू को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी संख्या 1 के धारण की कृषि भूमि चक 10 पीएसडी के मुरबा नं 42/15 में किला नं 1/2 से 9, 10/2, 11/1, 12, 13 में 3.1740 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 को उसके धारण की गई खातेदारी कृषि भूमि चक 10 पीएसडी के मुरबा नं 42/15 में किला नं 14 ता 19, 20/2, 21/1, 22 ता 25 में 2.9590 हैक्टेयर कृषि भूमि में नियमानुसार शुल्क (पत्थरगडी+सर्वे शुल्क) जमा करवाकर प्रार्थी के स्वयं के खर्चे पर सीमा ज्ञान करवाकर स्थायी सीमा चिह्न (पत्थरगडी) दिलाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर